आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ

अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख आवेदक/आवेदिका 1. जोया हेम्ब्रम, पिता– डोगे हेम्ब्रम एवं 2. कृपा हेम्ब्रम, पिता– लुतु हेम्ब्रम, दोनों निवासी ग्राम– जगन्नाथपुर, पो०ओ०– जगन्नाथपुर, थाना– जगन्नाथपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत जाति 'हो' के द्वारा खाता संख्या– 181, प्लॉट संख्या– 1716, रकवा– 10.00 (दस) डी० भूमि जो मौजा– जगन्नाथपुर, थाना संख्या– 712, परगाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, क्रेता कृष्ण चन्द्र लागुरी, पिता– महेन्द्र लागुरी, ग्राम– सानन्दा, टोला– बकासाई, थाना– जगन्नाथपुर, राजस्व थाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) को छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम के तहत् 5,72,000.00 (पाँच लाख बहत्तर हजार) रूपये में बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया, आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा निर्गत है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत 'हो' जाति के है। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो प्राप्त है। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर का जाँच प्रतिवेदन एवं ग्रामीण मुण्डा के व्यान में आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। आवेदित भूमि कुरपा हो एवं काटे हो, पिता– चम्बरा हो तथा चम्बरा हो, पिता– बुधराम हो के नाम पर खतियान एवं पंजी II में दर्ज है। मुण्डा द्वारा वंशावली दाखिल किया गया, जिसमें विक्रेता का संबंध दादा–पोता का दर्शाया गया है। दिनांक 02.07.2020 को क्रेता, विक्रेता एवं ग्रामीण मुण्डा की उपस्थिति में सुनवाई की गई है। ग्रामीण मुण्डा विकास कुमार महापात्र द्वारा लिखित व्यान दिया गया है कि खाता संख्या– 181, प्लॉट संख्या– 1716 रकवा– 97 (सन्तानवे) डी० भूमि आवेदकगण को संयुक्त रूप से हक दखल एवं हिस्सा में मिला हुआ है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उनके द्वारा विक्री की अनुशंसा की गयी है।

अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा विक्री अनुमति की अनुशंसा की गई है। आम सूचना निर्गत किया गया था जिसके उपरान्त कोई भी आपति प्राप्त नहीं हुई है। अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता द्वारा धारित कुल भूमि का रकवा 15.14 एकड़ है एवं विक्री के पश्चात् आवेदक के पास प्रर्याप्त भूमि भरण–पोषण हेतु शेष बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना जगन्नाथपुर के निवासी है तथा दोनों 'हो' जाति के है जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आता है।

अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा– जगन्नाथपुर, पो०ओ०– जगन्नाथपुर, थाना– जगन्नाथपुर, थाना संख्या– 712, खाता संख्या– 181, प्लॉट संख्या– 1716 एवं रकवा– 10.00 (दस) डी० भूमि क्रेता कृष्ण चन्द्र लागुरी, पिता– महेन्द्र लागुरी, ग्राम– सानन्दा, टोला– बकासाई, थाना– जगन्नाथपुर, राजस्व थाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं, को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत विक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

04/7/2020

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।